महात्मा गांधी नरेगा अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग—3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 10(10)ग्रावि / नरेगा / एलडीसी / 2013 पार्ट—1 / 71335 जयपुर, दिनांक 25 OCT 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :— **कनिष्ठ लिपिकों की प्रतिनियुक्ति महात्मा गांधी नरेगा योजनानतर्गत किये जाने बाबत।**

प्रसग :— **शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग का आदेश कमांक एफ 37 ( ) परावि / प्र.2 / मंत्रा. / प्रति नियु. / 2018 / 4387 दिनांक 25.10.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की प्रतिनियुक्ति महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत तत्काल प्रभाव से की गई है।

आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लिपिकों का वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी नरेगा योजना मद में उपलब्ध प्रशासनिक व्यय से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5) विभाग,जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ 37( )पंरावि/प्र.2/मंत्रा/प्रतिनियु./नरेगा/18/4387 जयपुर, दिनांक : 25/10/18

संशोधित आदेश

कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां हुई है। उक्त कनिष्ठ लिपिकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से मनरेगा योजना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया था। विभागीय आदेश कमांक 2223 दिनांक 30.05.2016 के द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत प्रतिनियुक्ति पद पदस्थापित सभी कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 4296 दिनांक 18.10.18 जारी किया गया था, उक्त आदेश को निरस्त कर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

" चूंकि उक्त कनिष्ठ लिपिकों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्य किया जा रहा है। अतः उक्त समस्त कनिष्ठ लिपिकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत की जाती है। इनके वेतन—भत्तों का भुगतान तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय मद से किया जावेगा। "

(कुंजीलाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचा. राज विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5) विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त—प्रथम/द्वितीय, ईजीएस
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा योजना।
7. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त. को प्रेषित कर लेख है कि कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की प्रतिनियुक्ति नरेगा योजनान्तर्गत सृजित समकक्ष पदों पर तत्काल कर उनका वेतन भुगतान नरेगा योजना से किया जावें।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति. समस्त।
9. एससीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार जांगिड़)
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त

Scanned by CamScanner